न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
70 / 2017 / प्रा.पत्र / 2017	27.09.2017	13.04.2023

डॉ. मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............आवेदक

बनाम

1–श्री प्रदीप कुमार सैनी पुत्र श्री संजय कुमार सैनी विक्रेता मैसर्स संजय किराणा स्टोर मालियों के मन्दिर के पास दूनी जिला टोंक राज. निवासी दुर्गापुरा दूनी जिला टोंक राज.
2–श्री संजय कुमार सैनी एफ.बी.ओ. मैसर्स संजय किराणा स्टोर मालियों के मन्दिर के पास दूनी जिला टोंक राज. निवासी दुर्गापुरा जिला टोंक
3–मैसर्स संजय किराणा स्टोर मालियों के मन्दिर के पास दूनी जिला टोंक राज.
4–श्री मूल चन्द पुत्र श्री नाथू लाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स नाथू लाल मूल चन्द जैन सदर बाजार देवली जिला टोंक निवासी बस स्टैण्ड के पीछे देवली जिला टोंक राज.
5–मैसर्स नाथू लाल मूल चन्द जैन सदर बाजार देवली जिला टोंक
6–श्री भरत कुमार बी पटेल भागीदार मैसर्स श्री बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी 295 सी ब्लॉक हिरण मगरी सेक्टर 9 सविना उदयपुर राज. निवासी–18 शिवम अपार्टमेन्ट अजय टेनामैन्ट डिपार्टमेन्ट के पास 4, अमरईवाडी अहमदाबाद गुजरात।
7–श्री दीपक के माफतलाल पटेल भागीदार मैसर्स श्री बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी 295 सी ब्लॉक हिरण मगरी सेक्टर 9 सविना उदयपुर राज. निवासी मागेज वार्ड नं. 1 रेवा बाई भवन फलान्दी चौराहा दमोह (म. प्र.)
8–श्री बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी 295 सी ब्लॉक हिरण मगरी सेक्टर 9 सविना उदयपुर राज.
9–श्री पंकज भाई आत्मा राम पटेल भागीदार मैसर्स उमिया फूड प्रोडक्ट ब्लॉक 726 / 2 थॉल काडी रोड थॉल मेहसाना गुजरात निवासी 1, कृष्णा बंगलो पार्ट 2 बी / एच आनन्द पार्टी प्लॉट न्यू रेनिफ अहमदाबाद गुजरात
10–श्री प्रवीण भाई माफतालाल पटेल भागीदार मैसर्स उमिया फूड प्रोडक्ट ब्लॉक 726 / 2 थॉल काडी रोड थॉल मेहसाना गुजरात निवासी 43, कृष्णा बंगलो पार्ट–1 बी / एच आनन्द पार्टी प्लॉट न्यू रेनिफ अहमदाबाद गुजरात
11– मैसर्स उमिया फूड प्रोडक्ट ब्लॉक 726 / 2 थॉल काडी रोड थॉल मेहसाना गुजरात

..............अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थीगण उप.।

:–निर्णय–: **दिनांक 13.04.2023**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.03.2017 को समय 02.01 पी.एम पर मैसर्स मैसर्स संजय किराणा स्टोर मालियों के मन्दिर के पास दूनी जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री प्रदीप कुमार सैनी पुत्र श्री संजय कुमार सैनी

अतिरिक्त जिला मजिस्टेट
टोंक

मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री प्रदीप कुमार सैनी ने श्री संजय कुमार सैनी को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **घी देशी केशव मूल पैक (Ghee Desi Kesav Origional Pack)** अलग–अलग सील्ड पॉली पैक 452–452 ग्राम के 20 नग रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री प्रदीप कुमार सैनी को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों मे विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह **घी देशी केशव मूल पैक (Ghee Desi Kesav Origional Pack)** जिसके बैच नं. 10 व पैकिंग की दिनांक जनवरी 2017 थी, वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 452–452 ग्राम के 4 नग कुल 1808 ग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1808 ग्राम **घी देशी केशव मूल पैक (Ghee Desi Kesav Origional Pack)** को ज्यों का त्यों मूल अवस्था में चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर–बराबर भरकर ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया एवं नियमनुसार चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1604 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1604 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक द्वारा नमूना क्रय करते समय विक्रेता श्री प्रदीप कुमार सैनी ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स नाथू लाल मूल चन्द जैन सदर बाजार देवली जिला टोंक का खरीद बिल प्रस्तुत किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

वारन्टी होने के कारण आवेदक ने मैसर्स नाथू लाल मूल चन्द जैन सदर बाजार देवली जिला टोंक को पत्र लिखा जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स श्री ... ट्रैडिंग कम्पनी 295 सी ब्लॉक हिरण मगरी सेक्टर 9 सविना उदयपुर राज. का

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

वारन्टी बिल पेश किया। तथा श्री बालाजी ट्रेडिंग ने बतौर वारन्टी मैसर्स उमिया फूड प्रोडक्ट ब्लॉक 726/2 थॉल काडी रोड थॉल मेहसाना गुजरात का बिल प्रस्तुत कर उक्त फर्म को निर्माता बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./17/1947 दिनांक 16.05.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./232/एक्ट/2017/232 दिनांक 13.04.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया **घी देशी केशव मूल पैक (Ghee Desi Kesav Origional Pack)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक श्री कृष्ण गोपाल शर्मा उपस्थित हुए एवं बहस की एवं अपनी बहस में अप्रार्थीगणों की ओर से जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **घी देशी केशव मूल पैक (Ghee Desi Kesav Origional Pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **घी देशी केशव मूल पैक (Ghee Desi Kesav Origional Pack)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/-(अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 13.04.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक